न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–90/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. चन्दूलाल पुत्र कुन्जा जाति कोली,
2. बुद्धनलाल पुत्र कुन्जा जाति कोली,
3. पून्याराम पुत्र कुन्जा जाति कोली निवासीयान ग्राम लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
4. मुथरी देवी पुत्री कुन्जा स्त्री स्व0 रामसिंह जाति कोली हाल निवासी मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 ।
5. रामदुलारी पुत्र कुन्जा स्त्री कैलाश जाति कोली हाल निवासी मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 ।
6. शकुन्तला पुत्री कुन्जा जाति कोली स्त्री स्व0 रघुनाथ जाति कोली निवासी शिवाजी पार्क अलवर राज0 ।

.... अपीलांटान

बनाम

1. मु0 नानगी बेवा दुर्गा जाति कोली,
2. सेढया पुत्र दुर्गा जाति कोली,
3. सम्पत पुत्र दुर्गा जाति कोली,
4. मंगल पुत्र दुर्गा जाति कोली –फौत
   4/1. गुलाबदेवी पत्नि स्व0 मंगल कोली ।
5. यादराम पुत्र दुर्गा जाति कोली,
6. चाहत पुत्र गुल खा जाति मेव,
7. खुशी खां पुत्र गुल खा जाति मेव,
8. आमीन पुत्र जुम्मा जाति मेव,
9. जोरमल पुत्र गुल जाति मेव,
10. नवली स्त्री हुरमत खां जाति मेव निवासीयान लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।
12. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अलवर ।
13. उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–

1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अमर चन्द चौधरी, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ल0 10
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

2315

::: निर्णय :::

दिनांक :–23.05.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.09.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि नानगी वादीगण/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक व तकसीम आराजी प्रथम उनवानी प्रकरण नानगी बनाम सरकार प्रकरण सं0 1/186/2009 इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी ख0 नं0 116 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम लक्ष्मणगढ़ में स्थित है जिसका साबिक ख0 नं0 293 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा व 215 रकबा 1 बिस्वा था । उक्त विवादित आराजी ग्यारसा पुत्र सुल्लड़ की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी । ग्यारसा के फौत हो जाने के बाद उक्त आराजी दुर्गा व कुन्जा के नाम निस्फ–निस्फ भाग में दर्ज हो गयी लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा वक्त बन्दोबस्त उक्त आराजी को अकेले कुन्जा के नाम दर्ज कर दिया जबकि बन्दोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज ही रिपीट करने चाहिए थे । वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है । बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण सं0 3 ल0 9 वादीगण के कब्जे काश्त मे रूकावट करते हैं तथा वादीगण को उक्त भूमि के निस्फ भाग के खातेदार होने से इन्कार करते हैं । अतः विवादित आराजी के निस्फ भाग का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें तथा बन्दोबस्ती इन्द्राज को दुरूस्त किया जावें ।

द्वितीय उनवानी वाद छोटी बेवा कुन्जा बनाम नानगी वगैरा प्रकरण सं0 1/06/2010 के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी ख0 नं0 1460 रकबा 2 बीघा, 1461 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा विवादित आराजी है और शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस आराजी में वादीगण का 1/6 भाग है तथा प्रतिवादीगण 1 ल0 5 का 1/6 भाग व प्रतिवादी नं0 6 का 1/3 भाग व प्रतिवादी नं0 7 का 1/12 भाग व प्रतिवादी नं0 8 का 1/12 भाग व प्रतिवादी नं0 9 का 1/12 भाग व प्रतिवादी सं0 10 का 1/12 भाग है । उक्त आराजी का अभी तक कानूनी तकासमा नहीं हुआ तथा अब शामलात में काश्त किया जाना सम्भव नहीं होने से वादीगण उक्त आराजी का कानूनी तकासमा कराये जाने का निवेदन किया ।

तृतीय उनवानी वाद यादराम बनाम चन्दुलाल वगैरा प्रकरण सं0 1/19/2015 के संबंध में अवगत कराया कि आराजी ख0 नं0 116, 1460 व 1461 वादी व प्रतिवादीगण 12 ल0 14 को छोड़कर सभी की पुश्तैनी आराजी है जिसमें चाहत का 1/4 भाग व 2/3 भाग प्रतिवादी सं0 12 ल0 14 का है शेष आराजी में 1/3 भाग पुश्तैनी है जो हम वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम पुश्तैनी रूप से चली आ रही है तथा आराजी ख0 नं0 1460 व 1461 के इन्द्राज पुश्तैनी रूप से चले आ रहे हैं लेकिन ख0 नं0 116 जो ग्यारसा पुत्र सुल्लड़ के नाम खातेदारी में थी और ग्यारसा के मरने के बाद सालिम आराजी साबिक ख0 नं0 293 में निस्फ–निस्फ भाग दर्ज हो गया लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने विवादित आराजी के साबिक इन्द्राज रिपीट नहीं किये और अकेले कुन्जा के नाम खातेदारी दर्ज कर दी जो कानूनन गलत है । ख0 नं0 297 का निस्फ भाग चन्दा वगैरा का था लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने

विवादित आराजी के साबिक इन्द्राज रिपीट नहीं किये और प्रतिवादीगण चाहत, जोरमल, आमी यानि गुल्खो व जुम्मा हुरमत के नाम दर्ज कर दिया व उनके पिता कुन्जा से साजबाज होकर तन्हा महज इन्द्राज कर दिया और वादीगण व दुर्गा का नाम गलत तरीके से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाये बेजा तरीके से हटाया और कुन्जा पुत्र ग्यारसा के नाम तन्हा दर्ज कर दिया जो इन्द्राज काबिल दुरूस्ती है । अतः आराजी ख0 नं0 116 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा का वादी व प्रतिवादी नं0 4 ल0 17 को 1/2 भाग का खातेदार दर्ज घोषित किया जावें । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने तीनों दावे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर प्रथम उनवानी प्रकरण 1/186 बउनवान मु0 नानगी वगैरा बनाम सरकार स्वीकार, द्वितीय उनवानी प्रकरण खारिज एवं तृतीय उनवान प्रकरण भी दि0 19.9.2016 को खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 19.9.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने तीनों उनवानी प्रकरणों की एक ही अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस में निवेदन किया कि तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19.9.2016 जिसमें तहत न्यायालय ने तीनों दावों को एक साथ कन्सोलिडेट करके एक ही निर्णय पारित किया है । यह तीनों दावे नानगी बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नं0 1/186, दूसरा दावा 1/06 बउनवान श्रीमती छोटी देवी बेवा कुन्जा बनाम श्रीमती नानगी व तीसरा दावा 1/19 बउनवान यादराम बनाम चन्दुलाल द्वारा पेश किये गये थे ।

तहत न्यायालय ने विवादित आराजी के पक्षकार मुकदमा एक समान होने पर तीनों दावों को कन्सोलिडेट करके एक ही निर्णय पारित किया है जिसमें अपीलांट का दावा 1/06 छोटी देवी बना नानगी को खारिज कर दिया, नानगी बेवा राजस्थान सरकार को डिक्री कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया कि उनकी पक्षकार श्रीमती छोटी देवी बेवा द्वारा विभाजन का दावा तहत न्यायालय में पेश किया जिसमें ख0 नं0 1460 व 1461 बाबत विभाजन का पेश किया था जिसमें तहत न्यायालय द्वारा स्पीकिंग आदेश पारित नहीं करते हुए केवल दो लाईन में यह कहते हुए निर्णय कर दिया कि प्रकरण में किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं होने के कारण दावा वादी खारिज किया जाता है ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस में कहा कि उनके द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसमें प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश कर दिया गया है जिसमें उनके द्वारा वादी का हिस्सा माना गया । इस आधार पर तहत न्यायालय को प्राथमिक डिक्री जारी करके और कुरे रिपोर्ट प्राप्त कर अंतिम डिक्री पारित करनी चाहिए थी । इस आधार पर तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है तथा अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण को तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया ।

द्वितीय उनवानी प्रकरण बउनवान नानगी बेवा बनाम राजस्थान सरकार के संबंध में अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी ख0 नं0 हाल 116 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा साबिक ख0 नं0 215 रकबा 1 बिस्वा व 293 मिन रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा है जो अपीलांट

की सैपरेट खातेदारी में था परन्तु तहत न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज करते हुए अपीलांट की खातेदारी समाप्त कर दी और जो दावा डिक्री किया गया वह विधिसम्मत नहीं था । बहस में यह भी कहा कि तहत न्यायालय ने तीनों दावों को कन्सोलिडेट करने के उपरान्त भी किसी प्रकार की तनकी कायम नहीं की जबकि दावे कन्सोलिडेट करने के उपरान्त पत्रावली की आदेशिका पर तनकी कायमी करने के आदेश हैं । अपीलांट अभिभाषक ने आदेशिका दिनांक 23.10.2015, 8.6.2016, 8.7.2016, 7.9.2016 और 19.9.2016 का हवाला दिया और कहा कि पत्रावली साक्ष्य में विचाराधीन थी तथा तनकीयात बनाने के आदेश दिये गये थे परन्तु न तो साक्ष्य ली और न ही उभयपक्षों को सुना गया और पत्रावली को बहस में लगाकर निर्णय पारित कर दिया ।

अपीलांट अभिभाषक का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सी.पी.सी. के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया और विधि विरूद्व आदेश पारित कर दिया । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करके तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए प्रकरण को तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने की इस्तदुआ की ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने जवाब बहस में कहा कि तहत न्यायालय के द्वारा यदि तीनों दावे कन्सोलिडेट करके एक ही निर्णय पारित किया है तो अपीलांट को तीनों दावों की अलग से अलग-अलग अपील पेश करनी थी । इनके द्वारा एक ही अपील पेश की गई है । इस बिनाय पर इनकी अपील काबिले खारिजी के है ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने नानगी बेवा बनाम राजस्थान सरकार के दावे का हवाला देते हुए कहा कि वादी नानगी का यह दावा विवादित आराजी ख0 नं0 हाल 116 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा से संबंधित था जिसमें वादीगण का यह कहना था कि यह आराजी सम्वत् 2012 में वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज ग्यारसा के कब्जे काश्त में रही है तो उनके दो पुत्र दुर्गा और कुन्जा की 1/2-1/2 खातेदारी में रही है परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने सम्वत् 2020 में इस आराजी में कुन्जा का नाम कलमजन कर और दुर्गा के नाम से सम्पूर्ण खातेदारी दर्ज कर दी । इन इन्द्राजों को उसने बाद में चैलेन्ज किया और इनके संबंध में आवश्यक दस्तावेज एक्जीविट 1 ल0 7 पेश किये और कब्जे काश्त के संबंध में रेस्पो0 अभिभाषक ने खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016-20, 2025-27 व 2028-31 का रेकार्ड पेश कर 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त होना जाहिर किया । साथ ही जमाबन्दी सम्वत् 2015 के ख0 नं0 293 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें दुर्गा और कुन्जा 1/2-1/2 भाग के खातेदार दर्ज हैं । इस आधार पर उक्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा था जिसे प्रतिवादी ने बन्दोबस्त से मिल करके अपने नाम करा लिया । तहत न्यायालय ने रेकार्ड का अवलोकन करते हुए इस कानूनी बिन्दु पर डिक्री किया कि बन्दोबस्त विभाग को किसी कि खातेदारी या इन्द्राज को समाप्त करने का अधिकार नहीं था । अतः उनका दावा बउनवान नानगी बनाम राजस्थान सरकार को सही डिक्री किया है । इसलिए अपील अपीलांट काबिले खारिजी के है ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने उनवानी वाद यादराम बनाम चन्दुलाल के सबंध में कहा कि अपीलांट ने इस निर्णय की अपनी अपील में किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं की है । इसलिए अपीलांट को इस दावे के निर्णय से कोई रिलीफ प्राप्त नहीं हो सकती है । इस संबंध में तहत न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें ।

जवाबुल जवाब में अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि निर्णय तथा डिक्री एक ही है । इसलिए उनकी एक ही अपील मैन्टेनेबिल है । इस संबंध में उन्होंने ए.आई.आर. 2008 पेज 1853 का हवाला दिया और कहा कि तहत न्यायालय ने तीनों दावों का निर्णय करते हुए एक ही डिक्री जारी की है । जवाबुल जवाब में पुनः कहा कि बिना सी.पी.सी. फोलो किये तहत न्यायालय द्वारा कोई तनकीयात कायम नहीं की गई और स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया मात्र दो लाईन में यह कहते हुए विभाजन में किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की गई है । इस आधार पर दावा गलत खारिज किया है । तहत न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन कराते हुए अपीलांट अभिभाषक ने पुनः कहा कि तहत न्यायालय का निर्णय कानून सम्मत नहीं है और उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए । अपीलांट के विभाजन के दावे में प्राथमिक डिक्री पारित की जानी चाहिए । नानगी बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय को निरस्त करते हुए पुनः तनकीयात कायम करते हुए साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देने का अनुरोध किया ।

तीसरे दावे में अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि उसमें उनके द्वारा कोई रिलीफ नहीं चाही परन्तु तीनों दावों का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने के कारण निर्णय काबिले खारिजी के है । इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण तहत न्यायालय को प्रेषित किया जावें । वादी अपीलांट के विभाजन के बाद अलग से प्राथमिक डिक्री और कुरे रिपोर्ट मंगवा करके पुनः अलग से निर्णय पारित करने और नानगी बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में पुनः तनकी के अनुसार निर्णय पारित करने की इस्तदुआ की ।

हमने अपील के तथ्यों तथा दावा व जवाब दावा के तथ्यों का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.9.2016 का भी गहराई से अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषगण की बहस पर गौर किया तथा पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

अपीलांट अभिभाषक का मुख्य कथन यह है कि तहत न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह कानून सम्मत नहीं है एवं सी.पी.सी. के प्रावधानों को फोलो नहीं किया गया है । तहत न्यायालय की आदेशिकाओं के अनुसार न तो तनकीयात कायम की है और न ही तहत न्यायालय ने तनकी वाईज निर्णय पारित किया है ।

हमने तहत न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया जिसमें यह पाया गया कि तहत न्यायालय ने तीनों दावों को कन्सोलिडेट किया है जबकि अपीलांट का जो वाद है वह सैपरेट खसरा नम्बर 1460 व 1461 के संबंध में था जिसमें उभयपक्षों की सह खातेदारी थी । इसमें किसी प्रकार के अन्य घोषणा कर हिस्सा बदलने का कोई अधिकार नहीं है । जवाब दावे के आधार पर सर्वप्रथम प्राथमिक डिक्री जारी करनी चाहिए थी जो तहत न्यायालय द्वारा जारी नहीं की गई और केवल यह कहते हुए कि साक्ष्य पेश नहीं की गई जबकि तहत न्यायालय के द्वारा आदेशिकाओं के अवलोकन अनुसार वादीगण की न तो साक्ष्य ली गई और न ही साक्ष्य का मौका दिया गया और न ही साक्ष्य बन्द की गई । इस बिनाय पर भी तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानून सम्मत नहीं होने के कारण काबिले निरस्ती के है ।

दूसरा वाद बउनवान नानगी बनाम राजस्थान सरकार में भी तहत न्यायालय की आदेशिका के अनुसार स्पष्ट है कि न तो पत्रावली में और न ही निर्णय में तनकी है और न ही तनकी का विवेचन किया है । कानूनी दृष्टान्तों के अनुसार घोषणा के वाद में उभयपक्षों

23/5

को दावे व जवाब दावे के आधार पर कानूनी तनकी बनाते हुए साक्ष्य और रेकार्ड का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था परन्तु तहत न्यायालय के निर्णय में ऐसा नहीं है । इसलिए यह निर्णय भी काबिले खारिजी के है । चूंकि इस वाद में विवादित आराजी ख0 नं0 116 में घोषणा का दावा है जिसमें वादी और प्रतिवादी छोटी वगैरा का हिस्सा निर्धारित किया जाना है जिसमें भी साक्ष्य और सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया । इसलिए इस बिनाय पर भी यह निर्णय काबिले खारिजी के है और इस वाद के निर्णय में चूंकि खसरा नम्बर अलग है और तीसरे वाद में भी इस खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है । अतः इसका निर्णय भी अलग से किया जाना आवश्यक है ।

अन्य वाद यादराम बनाम चन्दुलाल में ख0 नं0 116, 1460 व 1461 से संबंधित है परन्तु तहत न्यायालय के द्वारा इसके संबंध में न तो तनकी कायम की गई और न ही साक्ष्य ली गई जिस आधार पर दावा खारिज किया गया है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध 80 सी.पी. सी. का नोटिस नहीं दिया गया है जबकि इस प्रकरण में मुख्य अनुतोष सरकार से नहीं चाहा गया है । अतः इस बिनाय पर जो दावा खारिज किया गया है, वह विधिसम्मत नहीं होने से यह भी निर्णय काबिले खरिजी के है और प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.9.2016 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उनवानी प्रकरण 1/06 बउनवान श्रीमती छोटी बनाम नानगी जो विभाजन से संबंधित है का अलग से सुनवाई करते हुए पुनः निर्णय पारित करें व अन्य दो वादों में पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम कर तनकीयात का पूर्ण विवेचन करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/5/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर